## न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)


| आदेश दिनॉक—24.01.2017 | Mer M. | <u>प्र0कं० 183/12 विद्युत</u> |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
|                       | XC 3   |                               |

| शासन             | 476     | अभियोर्ग |
|------------------|---------|----------|
| / / बनाम / /     | 7 Co 10 |          |
| ग्रम्यनेटी शर्मा | 16 1    | ап       |

## ्री शर्मा Order sheet (contd)

case N0- 183/of 2012

| Date of<br>order or<br>proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding officer   | Signature of<br>parties or<br>pleaders<br>where |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   |   | necessary                                       |
| 24.01.2017                        | परिवादी की ओर से श्री अनुल कुमार सक्सेना अधिवक्ता। अारोपी रामसनेही शर्मा अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेनु नियत है। पुलिस थाना मेहगाँव जिला भिण्ड से आरोपी का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि उसे तलाश करने पर वह नहीं मिला। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक देवेन्द्र शर्मा उपस्थित हैं। उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0संव लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक कंठ 74 देवेन्द्र शर्मा को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0संव के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तदानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे। |   |



SILANDIA LALEND

ATTENDED OF THE TOTAL STREET OF THE TOTAL STRE